नेशनलसि्ट पीपुल्स पार्टी (NPP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा मेघालय के मुख्यमंत्री 'कॉनराड के संगमा' (Conrad K Sangma) के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- इसके साथ ही नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र से पहली पार्टी बन गई, जिसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के लिये निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा किया है।

नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP)

- मेघालय के मुख्यमंत्री के पिता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, दिवंगत पूर्णो अगितोक संगमा (Purno Agitok Sangma) द्वारा इस पार्टी का गठन 2013 में किया गया था।
- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान इस पार्टी ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की जिसके फलस्वरूप इसे अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया।
- नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिह्न किताब' है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नेशनल पीपुल्स पार्टी का 'किताब' वाला चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दिल्ली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लिये जमीन आवंटन सरकार की तरफ से किया जाता है।

चुनाव आयोग की समीक्षा 2019

- पार्टी ने 14.55% वैध मत प्राप्त किये हैं।
- पार्टी ने विधानसभा की साठ सीटों में से पाँच सीटें हासिल की हैं।
- अपने प्रदर्शन के फलस्वरूप ही इसने अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की।
- पार्टी पहले से ही मणिपुर, मेघालय और नगालैंड राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी थी।
- अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में अपनी पहचान के बाद अब यह चार राज्यों यानी मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है।
- इस प्रकार पार्टी ने कम-से-कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये निर्देशित पात्रता शर्त को पूरा कर लिया।
- परिणामस्वरूप चुनाव आयोग ने 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है।

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission

- भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये ज़िम्मेदार है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करता है।
- वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य

- संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपतियों के निर्वाचन के संदर्भ में इसकी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं-
    - प्रशासनिक

    - सलाहकारी
    - अर्द्ध- न्यायिक
- निर्वाचन की तिथि और समय सारिणी निर्धारित करने एवं नामांकन पत्रों के परीक्षण के अलावा इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना है।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिह्न संबंधी विवाद के समाधान के मामले में इसे न्यायालय के समान ही शक्ति प्राप्त है।

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/npp-becomes-first-party-from-northeast-to-get-national-party-status-from-ec